रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12062021-227542
CG-MH-E-12062021-227542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 228] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मुंबई, 13 मई, 2021

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

शुद्धिपत्र

(मई 2021 के 13वें दिन पारित)

फा.सं. टीएएमपी/16/2021-डीपीटी.—इस प्राधिकरण ने पीपीपी मोड में टुना टेकरा स्थित टैंकर टर्मिनल के विकास की परियोजना के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण के लिये दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादन मानकों का अनुमोदन करते हुए 16 मार्च, 2021 को आदेश संख्या टीएएमपी/16/2021-डीपीटी पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची और निष्पादन मानक भारत के राजपत्र में 12 अप्रैल, 2021 के राजपत्र संख्या 164 में अधिसूचित हुआ था।

2. 12 अप्रैल, 2021 की उक्त अधिसूचना के संदर्भ में, डीपीटी ने 04 मई 2021 के ई-मेल द्वारा इस प्राधिकरण के 16 मार्च, 2021 को आदेश संख्या टीएएमपी/16/2021-डीपीटी द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची की अनुसूची 4 के क्रमांक (I) में सूचकांकन के आधार वर्ष के बारे में संशोधन चाहा है, जो डीपीटी के अनुसार उक्त आदेश में निर्धारित 1 जनवरी 2021 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 होना चाहिये।

3.1. इस संबंध में यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि डीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क आदेश में वार्षिक सूचकांकन कारक वर्ष 2020-21 तक लेखबद्ध किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक, वार्षिक सूचकांकन कारक निकालने के लिये वर्ष 2020-21 के लिये घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक में 01 जनवरी 2019 (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के बीच औसत मासिक डब्ल्यूपीआई के आधार पर निकाला गया) और 01 जनवरी 2020 (01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के बीच औसत मासिक डब्ल्यूपीआई के आधार पर निकाला गया) के बीच औसत मासिक डब्ल्यूपीआई में हुए परिवर्तनों को लेखबद्ध किया गया था।

3.2. उपरोक्त के मद्देनजर, इस प्राधिकरण द्वारा 16 मार्च, 2021 के उक्त आदेश मे अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क में सूचकांकन के आधार वर्ष को 1 जनवरी 2021 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 के रूप में संशोधित किया जाता है। तद्नुसार, इस प्राधिकरण के 16 मार्च, 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/16/2021-डीपीटी द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची की अनुसूची 4 – सामान्य टिप्पण - के क्रमांक (I) की मौजूदा टिप्पणी को निम्नानुसार पढा जाये:

इस प्राधिकरण के 16 मार्च, 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/16/2021-डीपीटी द्वारा अनुमोदित दरमान के अनुलग्नक – 1 का संदर्भ	**12 अप्रैल 2021 की अधिसूचना संख्या 164 में यथा प्रकाशित**	**निम्नानुसार पढा जाये**
अनुसूची 4–के अंतर्गत क्रमांक (I).	(I).प्रशुल्क सीमाएं **1 जनवरी 2021** और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वत: समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।	(I). प्रशुल्क सीमाएं **1 जनवरी 2020** और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वत: समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।

3.3 डीपीटी को यह सलाह दी जाती है के वे टुना टेकरा स्थित टैंकर टर्मिनल के संदर्भ प्रशुल्क के 16 मार्च, 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/16/2021-डीपीटी की संगत अनुसूची 4 – सामान्य टिप्पण के क्रमांक (I) में और बोली दस्तावेजों में भी उपयुक्त आशोधन कर लें।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./91/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Mumbai, the 13th May, 2021

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

CORRIGENDUM

(Passed on this 13th day of May 2021)

F. No. TAMP/16/2021-DPT.–This Authority had passed an Order No.TAMP/16/2021-DPT dated 16 March 2021, approving the Reference tariff and Performance Standards based on the proposal received from the Deendayal

Port Trust (DPT) for fixation of reference tariff for its project development of Container Terminal at Tuna-Tekra under PPP mode. The Reference tariff schedule and Performance Standards approved by this Authority were notified vide Gazette No.164 dated 12 April 2021.

2. With reference to the said notification dated 12 April 2021, the DPT vide its email dated 4 May 2021 has sought amendment to the General Note at Sr.No.(l) of Schedule 4 of the Reference tariff schedule approved by this Authority vide Order TAMP/16/2021-DPT dated 16 March 2021 pertaining to the base year for indexation which should be 1 January 2020 instead of 1 January 2021 prescribed therein.

3.1. In this regard it is relevant to state that, reference tariff Order approved by this Authority based on the proposal of the DPT captures annual indexation factor upto the year 2020-21. The annual indexation factor announced by this Authority for the year 2020-21 captures variation in the monthly WPI occurring between 01 January 2019 (derived based on average monthly WPI from January 2018 till December 2018) and 01 January 2020 (derived based on average monthly WPI from January 2019 till December 2019) for arriving at the annual indexation factor to be applied for the year 2020-21 i.e. from 1 April 2020 till 31 March 2021.

3.2. In view of the above, the base year for indexation in the reference tariff approved by this Authority in the said Order dated 16 March 2021 is corrected as 1 January 2020 instead of 1 January 2021. Accordingly, the existing Note No. (l) under Schedule 4 – General Note in the Reference tariff schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/16/2021-DPT dated 16 March 2021 is to be read as given below:

Reference to the SOR approved by this Authority attached as Annex-I to the Order No.TAMP/16/2021-DPT dated 16 March 2021	**As appeared in the Notification No.164 dated 12 April 2021**	**To be read as follows**
Note (l) under Schedule 4	(l). The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between **1 January 2021** and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.	(l). The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between **1 January 2020** and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

3.3. The DPT is advised to suitably modify the relevant General Note at Sl. No. (l) of Schedule 4 in the Reference tariff schedule for Container Terminal at Tuna-Tekra approved vide Order No.TAMP/16/2021-DPT dated 16 March 2021 and also in the bid documents.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./91/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.12 18:23:42 +05'30'